International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 8 Issue 10 Ser. I ||October, 2019 || PP.59-63

भारत में आपातकाल की स्थिति उद्घोषणा प्राधिकरण पर अध्ययन

डॉ दीप कुमार श्रीवास्तव
एसोसिएट प्रोफेसर रक्षा अध्ययन विभाग एस एम कॉलेज चंदौसी

सार
अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल और अन्य कारकों से एक ब्रीफिंग के आधार पर संतुष्ट है कि राज्य सरकार सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकती है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकता है। भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। 44वें संशोधन अधिनियम से पहले, संविधान के अनुच्छेद 352 में कहा गया था कि देश के राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर सकते हैं यदि वे पूरे देश या भारत के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे की निरंतरता से संतुष्ट हों, चाहे इसके कारण हो युद्ध, बाहरी आक्रमण, या दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ। 44वें संशोधन से पहले, अनुच्छेद 352 कुछ अस्पष्ट और मनमाना था। इसने प्रधान मंत्री और उनके मंत्रिमंडल में बहुत अधिक शक्ति निहित की। नतीजतन, जब जनता दल एलायंस ने सत्ता संभाली, तो उसने अनुच्छेद 352 को ठीक करने और इसे और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए 44वें संशोधन को लागू करने का फैसला किया। आपातकाल की स्थिति में, राज्य विभिन्न व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को ओवरराइड कर सकता है और संविधान के भाग XVIII में उल्लिखित संघीय मानकों को लागू कर सकता है।आप यूपीएससी के तीन आपातकालीन प्रावधानों के बारे में जानेंगे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक हैं।

कीवर्ड- *संशोधन, राज्य सरकार, आपातकाल, आक्रमण, निर्वाचन, उद्घोषणा।*

प्रस्तावना

आपातकाल की घोषणा निर्वाचित नेताओं को इस मिशन को प्राप्त करने में मदद करती है। आपातकाल की स्थिति, राज्य के कानून के अनुसार, एक प्राकृतिक या मानव निर्मित कारण से होने वाली व्यापक या गंभीर क्षति, चोट या जीवन या संपत्ति के नुकसान के आसन्न खतरे के दौरान घोषित की जा सकती है। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और वे कार्यपालिका के हाथों में भारी मात्रा में जिम्मेदारी और शक्ति देते हैं। एक जांच और संतुलन प्रणाली यह सुनिश्चित कर सकती है कि 1975 की तरह शक्ति का कोई दुरुपयोग न हो।

आपातकालीन अवधि के दौरान राष्ट्रपति की भूमिका को समझने के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपातकालीन अवधि क्या होती है। यह एक ऐसा दौर है जहां अप्रत्याशित परिस्थितियां आती हैं। ये स्थितियाँ सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपनी विशिष्ट शक्तियों का तुरंत प्रयोग करने के लिए बाध्य करती हैं। भारत में आपातकालीन अवधि को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, और प्रत्येक प्रकार की आपात स्थिति के दौरान राष्ट्रपति की कुछ विशिष्ट भूमिकाएँ और शक्तियाँ होती हैं।

आपातकालीन शक्ति में कार्रवाई करने या नीतियों को निष्पादित करने की शक्ति शामिल होती है, जिसे सामान्य स्थिति में लागू करने के लिए उन्हें सशक्त नहीं किया जाएगा। आपातकाल को एक ऐसी स्थिति के रूप में भी समझा जा सकता है जिसमें सरकारी मशीनरी विफल हो जाती है और स्थिति को सामान्य करने और समस्याओं का मुकाबला करने के लिए तत्काल सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता होती है। भारतीय

संविधान द्वारा प्रतिपादित आपातकाल के भारतीय सिद्धांत में, इसका अर्थ ऐसी किसी भी स्थिति से है जिसे ऐसे विशेष प्रावधानों के कार्यान्वयन के बिना सरकार और राज्य मशीनरी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।

26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच भारत-चीन युद्ध के दौरान था, जब "भारत की सुरक्षा" को "बाहरी आक्रमण से खतरा" घोषित किया गया था।

3 से 17 दिसंबर 1971 के बीच था, जो मूल रूप से भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान घोषित किया गया था ।

25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच की तीसरी उद्घोषणा इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राजनीतिक अस्थिरता की विवादास्पद परिस्थितियों में थी , जब "आंतरिक गड़बड़ी" के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। उद्घोषणा ने तुरंत इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक फैसले का पालन किया, जिसने 1971 के भारतीय आम चुनाव में रायबरेली से प्रधान मंत्री के चुनाव को रद्द कर दिया । उनके पद पर बने रहने की वैधता को चुनौती देते हुए, उन्हें अगले 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बजाय इंदिरा गांधी ने अपने हाथ मजबूत करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा करने की सिफारिश की।

स्वीकृति और अवधि

जिस तारीख से आपातकाल घोषित किया जाता है उस तारीख से 2 महीने तक।

जिस तारीख को इसकी घोषणा की जाएगी, उसे मंजूरी के लिए संसद को भेजा जाएगा। संसद (राज्य सभा + लोकसभा) = साधारण बहुमत यानी कुल सदस्यता 50%

जब संसद मंजूरी देती है तो आपातकाल की अवधि 6 महीने तक बढ़ा दी जाएगी और अगर संसद इसे मंजूरी नहीं देती है तो आपातकाल 2 महीने के भीतर खत्म हो जाएगा।

राज्य आपातकाल अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए समाप्त हो सकता है लेकिन प्रत्येक 6 माह में इसे संसद से स्वीकृति लेनी पड़ती है।

राज्य आपातकाल

अनुच्छेद 355- इन तीन चीजों से राज्य की रक्षा करना केंद्र का कर्तव्य है-

बाहरी आक्रामकता

आंतरिक गड़बड़ी

संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान।

अनुच्छेद 356 - यदि किसी राज्य का राज्यपाल रिपोर्ट के माध्यम से राष्ट्रपति को यह बता देता है कि उसके विचार से राज्य ठीक से या संवैधानिक रूप से शासन नहीं कर रहा है।

यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि राज्यों के राज्यपाल संवैधानिक प्रावधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं। उस समय राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

राज्य के संबंध में अनुच्छेद 356 के साथ अनुच्छेद 365 में राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है-

यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति कह सकता है कि यह ऐसी स्थिति है जिसमें राज्य संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है और आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

उदाहरणार्थ

6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या (यूपी) में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था तब हमारे देश में अशांति फैलती है। उसमें कई लोग मारे गए और उसके कारण 15 दिसंबर 1992 को

अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल के अध्यक्ष ने उद्घोषणा जारी की और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। राष्ट्रपति ने उस समय देखा कि ये सभी राज्य

धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हैं और धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

कर्नाटक में कुछ साल बाद, एसआर बोम्मई बनाम

भारत संघ के मामले में अनुच्छेद 356 की वैधता के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारत के संघीय ढांचे की तुलना किसी अन्य देश से नहीं की जा सकती है।
राष्ट्रपति की संतुष्टि और जिस आधार पर वे आपातकाल की घोषणा कर रहे हैं वह न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
कर्नाटक के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजी है कि राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है और यदि राष्ट्रपति रिपोर्ट से संतुष्ट हैं और 1 फरवरी 19 को राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं।

राज्य आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की भूमिका

अनुच्छेद 356 आपातकाल की इस श्रेणी और आपातकालीन अवधि के दौरान राष्ट्रपति की भूमिका का वर्णन करता है। जब एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जो दर्शाता है कि एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसके कारण राज्य की सरकार कार्य करने में असमर्थ है या आम तौर पर शासन करती है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। इस तरह के आपातकाल को राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल के रूप में जाना जाता है। भारत का संविधान एक राज्य आपातकाल का वर्णन "संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण उद्घोषणा" के रूप में करता है।

राष्ट्रीय आपातकाल की तरह, राज्य आपातकालीन प्रस्ताव को भी संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एक बार घोषित होने के बाद, राष्ट्रपति द्वारा निरस्त किए जाने तक राज्य आपातकाल छह महीने तक जारी रहता है। इसे रद्द करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। आपात स्थिति किसी व्यक्ति को कैसे प्रभावित करती है, यह उन सभी मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों से संबंधित है जो आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाते हैं। इन प्रावधानों को समय के साथ उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दी गई न्यायिक जांच के साथ समझाया गया है। अंत में, विगत कुछ घटनाओं के कारण आपातकाल और संबंधित अनुच्छेदों के प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं। उन संशोधनों को उनके कारणों सहित अनुच्छेद में भी विनिर्दिष्ट किया गया है। अंत में, किसी भी अन्य कानून या व्यवस्था की तरह, प्रक्रियाओं का एक सेट निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार आपातकाल की उद्घोषणा के लिए भी एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसका पालन करना होता है। उस प्रक्रिया का पालन नहीं करने से उद्घोषणा अमान्य हो सकती है। भी, प्रावधान और प्रक्रिया ही यह स्पष्ट करती है कि आपातकाल की उद्घोषणा मुद्दों से निपटने का प्राथमिक तरीका नहीं होगी।

संबंधित साहित्य की समीक्षा

1978 में, भारत के संविधान के 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 352 में "सशस्त्र विद्रोह" के लिए "आंतरिक गड़बड़ी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया, जिससे यह शब्द अधिक विशिष्ट और व्याख्याओं के अधीन कम हो गया।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली संसदीय क्षेत्र में हाल ही में इंदिरा गांधी (दो से एक) से हारने वाले समाजवादी राजनारायण ने श्रीमती गांधी के खिलाफ चुनाव प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जमा किया। 1974 में, जयप्रकाश नारायण, पूर्व-कांग्रेसी, पूर्व-समाजवादी ने भ्रष्टाचार के आरोप में इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को पद से हटाने के लिए बिहार में एक अभियान चलाया। 12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री को उनके चुनाव अभियान के लिए

सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप में दोषी पाया। अदालत ने उनके चुनाव को "अमान्य और शून्य" घोषित कर दिया और उन्हें लोकसभा से बाहर कर दिया। अदालत ने उन्हें अतिरिक्त छह साल के लिए किसी भी चुनाव में लड़ने से भी प्रतिबंधित कर दिया। मतदाताओं को रिश्वत देने और चुनाव में कदाचार जैसे कुछ गंभीर आरोप हटा दिए गए और उन्हें तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण आरोपों जैसे राज्य पुलिस द्वारा एक मंच का निर्माण और राज्य बिजली विभाग द्वारा बिजली का प्रावधान और जिस मंच से उन्होंने संबोधित किया, उस मंच की ऊंचाई पर दोषी ठहराया गया। अभियान रैली। इनमें से कुछ आरोप वास्तव में प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल का एक अनिवार्य हिस्सा थे। इसके अलावा, उन्हें एक सरकारी कर्मचारी के रूप में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। क्योंकि अदालत ने उसे तुलनात्मक रूप से कम आरोपों पर हटा दिया, जबकि अधिक गंभीर आरोपों से बरी कर दिया,टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे " यातायात टिकट के लिए प्रधान मंत्री को बर्खास्त करने " के रूप में वर्णित किया। पूरे देश में मजदूरों और ट्रेड यूनियनों, छात्र संघों और सरकारी यूनियनों की हड़तालें हुईं। राज नारायण और मोरजी देसाई के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों ने संसद भवन और प्रधान मंत्री आवास के करीब दिल्ली की सड़कों पर पानी भर दिया।

<u>24 जून 1975 को न्यायमूर्ति अय्यर</u> ने इंदिरा गांधी को "सशर्त प्रवास" प्रदान किया। इस फैसले ने विपक्ष के विरोध को जन्म दिया कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। श्रीमती गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया। 25 जून 1975 की शाम को, जेपी नारायण ने प्रधान मंत्री के इस्तीफे के लिए सविनय अवज्ञा अभियान का आह्वान किया। जवाब में, श्रीमती गांधी और उनकी पार्टी का विरोध करने वाले सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार करने के लिए 26 जून के शुरुआती घंटों में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के रखरखाव के अधिकार का उपयोग किया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में जेपी नारायण, राज नारायण, ज्योर्तिमोय बसु (कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी), समर गुहा (जनसंघ के अध्यक्ष) शामिल थे। प्रधान मंत्री गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा 26 जून को आपातकाल की उद्घोषणा जारी की गई थी। आपातकाल बुलाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत था। जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, या आंतरिक गड़बड़ी से भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा है, तो आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है। अशांति की वास्तविक घटना आवश्यक नहीं है, केवल गड़बड़ी की घटना की उम्मीद है। आगे, अनुच्छेद 352 के तहत, न्यायालय उन आधारों की वैधता की जांच नहीं कर सकते हैं जिनके आधार पर आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल के इस रूप के तहत केंद्र सरकार को दी गई शक्तियों की वस्तुतः कोई सीमा नहीं है।

<u>संदर्भित ग्रंथ</u>

- ऑस्टिन, ग्रैनविले (1999)। एक लोकतांत्रिक संविधान का कार्य करना: भारतीय अनुभव । ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटि प्रेस। "भारत के संविधान 1949 में अनुच्छेद 352" । मूल से 2010-06-13 को पुरालेखित
- "भारत के संविधान 1949 में अनुच्छेद 352" । मूल से 2010-06-13 को पुरालेखित
- डिसूज़ा, जोस पीटर (जून 2001)। "जब सुप्रीम कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस को खत्म कर दिया" । एडीएम जबलपुर बनाम शुक्ला ।
- आपातकालीन कानून की स्थिति
- हेलमैन-राजनायगम, डागमार (2013)। "द पायनियर्स: दुर्गा अम्मा, द ओनली मैन इन द कैबिनेट" । डेरिच में, क्लाउडिया; थॉम्पसन, मार्क आर. (संस्करण)। राजवंश और एशिया में महिला राजनीतिक नेता: लिंग, शक्ति और वंशावली । आईएसबीएन 978-3-643-90320-4. 20 अक्टूबर 2015 को पुनःप्राप्त ।
- पुरी, बलराज (1993). "विभाजन के बाद से भारतीय मुसलमान"। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक । 28 (40): 2141-2149। जेएसटीओआर 4400229 ।

- "आईसी गोलकनाथ व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य (27 फरवरी 1967)" । Indiankanoon.org । 5 मार्च 2022 को पुनःप्राप्त ।
- दोशी, विधि (9 मार्च 2017)। "इंदिरा जयसिंह:" भारत में, आप समान न्याय का सपना भी नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं"" . द गार्जियन । 7 मई 2017 को लिया गया ।
- "इंदिरा गांधी के चुनाव को दरकिनार करने वाले जस्टिस सिन्हा का 87 साल की उम्र में निधन" । द इंडियन एक्सप्रेस । 22 मार्च 2008। मूल से 9 मार्च 2012 को पुरालेखित । 5 जुलाई 2009 को पुनःप्राप्त ।
- कुलदीप सिंह (11 अप्रैल 1995)। "मृत्यु विवरण: मोरारजी देसाई" . द इंडिपेंडेंट । मूल से 18 जून 2022 को पुरालेखित । 27 जून 2009 को पुनःप्राप्त ।
- कैथरीन फ्रैंक (2001)। इंदिरा: द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी । हार्पर कॉलिन्स। पीपी। 372-373। आईएसबीएन 0-00-255646-4.
- "1975-77 का भारतीय आपातकाल" । माउंट होलीक कॉलेज। 19 मई 2017 को मूल से संग्रहीत । 5 जुलाई 2009 को पुनःप्राप्त ।
- "द राइज ऑफ इंदिरा गांधी" । लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्री स्टडीज । 27 जून 2009 को पुनःप्राप्त ।